दिनांक: 08-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा दिनांक 07.09.23 को धोखाधड़ी कर वादी का ए0टी0एम कार्ड बदलकर खाते से रुपये निकालने वाले एक शातिर अभियुक्त मात्र 13 घण्टे में गिरफ्तार, कब्जे से 4000 रुपये व अलग अलग बैक के 08 एटीएम कार्ड बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 07.09.23 को वादी श्री असलम पुत्र महमूद ग्राम नवाजपुर पो0 अम्बेहटा थाना नकुड, सहारनपुर की लिखित तहरीरी सूचना बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के साथ धोखाधडी कर वादी का ए0टी0एम0 कार्ड बदलकर वादी के खाते से 10,000 (दस हजार) रूपये निकाल लेने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0स0 335/23 धारा 420/379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी हेतु निर्देश दिए गये थे, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 08.09.2023 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वाँछित अभियुक्त **अनिल पुत्र स्व0 भंवर सिंह निवासी बिलासपुर खेडा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को अम्बेहटापीर चौराहे से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से अलग अलग बैंको के कुल 8 एटीएम कार्ड जिनमे 01 एटीएम कार्ड SBI BANK DEBIT CARD NO. 8174060191945762 जो वादी का है, के खाते से 10 हजार रूपये निकालकर शेष बचे 4000 रुपये (500-500 के 08 नोट) बरामद हुए हैं। अभियुक्त का पूर्व में कोई अपराधिक इतिहास नही है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त अनिल उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं कक्षा 05 पढ़ा लिखा हूँ। दिनांक 31.08.23 को अम्बेहटापीर मे पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम मे एक व्यक्ति से उसका एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड बदलकर नकुड़ के एटीएम से उसके खाते से हजार रूपये निकाल लिये थे 10 जिनमे से 04 हजार रुपये मुझसे खर्च हो गये व 06 हजार रुपये मेरे पास बचे थे और बाकी के जो एटीएम कार्ड मेरे पास मिले हैं, मैं इन्ही की मदद से लोगो से धोखाधड़ी कर एटीएम बदलकर लोगो के खाते से रुपये निकालता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अनिल पुत्र स्व भंवर सिंह निवासी बिलासपुर खेडा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 0

बरामदगी का विवरणः-

कुल 8 एटीएम कार्ड

- SBI BANK DEBI T CARD NO. 8174060191945762,
- PUNJAB NATIONAL BANK DEBIT CARD NO. 6070936113738865,
- PUNJAB NATIONAL BANK ATM AND SHOPPING CARD NO. 512652200051379,
- PUNJAB NATIONAL BANK ATM AND SHOPPING CARD NO. 6070936213654798,
- PUNJAB NATIONAL BANK INTERNATIONAL DEBIT CARD NO. 5572690003330771,
- AXIS BANK DEBIT CARD NO. 6522360055230134,
- SBI BANK DEBIT CARD NO. 5103720379828989,
- 8.SHIVALIK MERCANTILE COOPERATIVE BANK LTD. DEBIT CARD NO. 6071191001830411
- वादी के खाते से 10,000 (दस हजार) रूपये निकाल कर शेष बचे 4000 रुपये (500-500 के 08 नोट)

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सन्दीप अधाना थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. का0 71 ब्रजवीर राणा थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. का0 1438 प्रदीप कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर

दिनांक:08-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 04 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से कुल 7.500 कि0ग्रा0 नशीला पदार्थ गांजा, 03 मोबाइल फोन, 3100/- रूपये व एक कार इटियोस टोयटा बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देश पर नशीले पदार्थो का कारोबार करने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे **अभियान** के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी गंगोह के कुशल नेतृत्व मे थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा 04 अभियुक्तगण- **1. आसिफ पुत्र इकराम निवासी ग्राम बुढनपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर, 2. प्रवेज पुत्र मेंहदी निवासी ग्राम धलापडा थाना गंगोह जिला सहारनपुर, 3. रिजवान पुत्र इकराम निवासी ग्राम धलापडा थाना गगोह जिला सहारनपुर सहारनपुर व 4. अब्दुल कादिर पुत्र इमरान निवासी ग्राम धलापडा थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को कुल 7.500 कि0ग्रा0 किलो गांजा, 03 मोबाइल फोन, 3100/- रूपये व एक कार इटियोस टोयटा नम्बर UKO7-BF-0522 सहित तीतरो तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। कार इटियोस टोयटा नम्बर UKO7-BF-0522 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। अभियुक्तगण के जुर्म के सम्बन्ध मे थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 257/23 धारा 8/20/29/60 NDPS ACT पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- आसिफ पुत्र इकराम नि0 ग्राम बुढनपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर ने पूछने पर बताया कि लगभग डेढ या दो साल पहले मैं आन्ध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में कपडो की फेरी बेचने का काम करता था। वहाँ मेरे संगत कुछ गलत लोगो से हो गयी थी। एक बार उन्ही के साथ मैं गांजे की तस्करी में विशाखापट्टनम में सैन्ट्रल जे गया था। जेल से मैं पिछले साल ही वापस आया था। यहाँ आकर फिर मुझे पैसा कमाने का लालच पड गया तो मै गांजे की तस्करी में लग गया। और अपने साथ धलापडा के रहने वाले प्रवेज पुत्र मेहंदी, रिजवान पुत्र इकराम, अब्दुल कादिर पुत्र इमरान को भी अपने साथ मिला लिया। रिजवान गाडी चलाता था। करीब 6, 7 दिन पहले रिजवान व तीनो अन्य को मैने उडिसा व छत्तीसगढ राज्य की सीमा के पास एक जगह गांजा लेने के लिये भेजा था। इस दौरान मेरे फोन नम्बर से रिजवान से बात होती रही थी। मैने इन्हे बताया था कि वहाँ एक पार्टी तुम्हे गांजा देगी। बदले में मैं उसे पैसे दे दूगाँ। गांजा लेने के बाद रिजवान ने मुझे बता दिया था। कुछ गांजा इन्होने रास्ते में ही सडक किनारे ढाबे पर बेच दिया था। वहाँ से गांजा हम करीब 2,000 रु0 किलो मंगवाते है और यहाँ 7000 से 8000 रु0 किलो की दर से बेचते है इस प्रकार हम चारो काफी लाभ कमा लेते है। साहब गलती हो गयी है।

अभियुक्त प्रवेज पुत्र मेंहदी निवासी ग्राम धलापडा थाना गंगोह जिला सहारनपुर ने पूछने पर बताया कि कुछ महीने पहले से हम इस तस्करी के गलत काम में पड गये है। करीब 6, 7 दिन पहले मैं और मेरे गाँव के अब्दुल कादिर , रिजवान कार से उडिसा छत्तीगढ की तरफ एक जगह गये थे। यहाँ से जाने से पहले बुढनपुर के रहने वाले हमारे चौथे दोस्त आसिफ पुत्र इकबाल ने कहा था कि वहाँ एक जगह तुम्हे एक आदमी गांजा देगा। वह गांजा तुम गाडी में छिपाकर ले आना। मैं उसे पैसे भेज दूगाँ। गांजा लेने के बाद हम लोग वापस आ रहे थे कि पुलिस ने हमें पकड लिया। गांजा देने वाली पार्टी व जगह के बारे में आसिफ को ही पता है। कुछ गांजा हमने रास्ते में आसिफ को बगैर बताये सडक किनारे ढाबो पर पैसे के लालच में बेच दिया था।

अभियुक्त रिजवान पुत्र इकराम निवासी ग्राम धलापडा थाना गगोह जिला सहारनपुर सहारनपुर ने पूछने पर प्रवेज के ही बयानो का समर्थन करते हुए बताया कि हम तीनो मैं, अब्दुल कादिर और प्रवेज उडिसा राज्य की तरफ गये थे। गाडी नम्बर UK07BF0522 मैं ही चला रहा था। हमारे चौथे दोस्त आसिफ पुत्र इकराम बुढनपुर वाले ने कहा था कि उडिसा में एक पार्टी हमें गांजा देगी तुम उसे अपनी गाडी में छिपाकर ले आना। पैसे मैं उसे यहीं से भेज दूगाँ। गांजा लेने से पहले व बाद में मेरी आसिफ से लगातार बात होती रही थी। वापसी में आते समय कुछ गांजा हमने पैसो के लालच में रास्ते में मौज मस्ती के लिये बेच दिया था।

अभियुक्त अब्दुल कादिर पुत्र इमरान निवासी ग्राम धलापडा थाना गंगोह जिला सहारनपुर ने पूछने पर कहा कि मैं भी अवैध गांजे की तस्करी मे साथ गया था और वहाँ से (उडिसा राज्य से) गांजा लेकर वापस आ रहे थे कि पुलिस ने पकड लिया। गांजा हम आसिफ पुत्र इकराम के कहने से लेने गये थे, और यहा लाकर उसे आसपास के शहरो में ढाबो पर मंहगे दामो में बेचते जो पैसा मिलता उसे बराबर बराबर बांट लेते। एक बार पहले भी हम चारो ने ये अवैध काम किया था। वहाँ की पार्टी के बारे में आसिफ ही जानता है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

1. आसिफ पुत्र इकराम नि0 ग्राम बुढनपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. प्रवेज पुत्र मेंहदी निवासी ग्राम धलापडा थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. रिजवान पुत्र इकराम निवासी ग्राम धलापडा थाना गगोह जिला सहारनपुर सहारनपुर
4. अब्दुल कादिर पुत्र इमरान निवासी ग्राम धलापडा थाना गंगोह जिला सहारनपुर

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1. 7.500 कि0ग्रा0 गांजा नाजायज,
2. एक ओप्पो कम्पनी का फोन रंग नीला व एक ओप्पो फोन रगं काला व एक मोंबाइल फोन समसैग ग्लैक्सी A-13
3. 3100/- रूपये
4. एक कार इटियोस टोयटा नम्बर UKO7-BF-0522

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1.उ0 नि उपेन्द्र राणा थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2.उ0 नि0 सन्दीप सिंह, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3.हे0 का0 494 योगेश कुमार, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4.हे0 का0 365 राहुल कुमार, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5.का01059 अनुज राणा, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
6.का0 1029 नितिन तोमर, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
7.का0 1718 अकित धामा, थाना गंगोह जिला सहारनपुर

दिनांकः 08-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 05 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद में अवैध नशीली वस्तु विक्रय करने वाले व नशे के कारोबार मे लिप्त अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण एवं **थाना प्रभारी बेहट श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में** दिनांक 08.09.2023 को थाना बेहट पुलिस द्वारा अभियुक्त 1.**हदरयाल पुत्र नाथीराम निवासी ग्राम रवासौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को टोली के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 05 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0स0-402/2023 धारा-8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभि0 हरदयाल से पूछताछ की गयी तो अभि0 ने बताया कि मै कक्षा 08 तक पढा हूँ तथा मजदूरी करता हूँ। मेरी 03 बहने है व मुझे नशा करने की आदत है। जिस कारण घर वाले पैसे नही देते है। मै अपना शौक पूरा करने के लिए बाहर से सस्ते दामो मे स्मैक लाकर पीता हुँ बेचता हूँ। जिससे पैसे कमा लेता हुँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

हरदयाल पुत्र नाथीराम निवासी ग्राम रवासौली थाना बेहट जिला स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

2.उ0नि0 श्री मनोज कुमार वर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

3. का0 2559 रन्जीत कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

05 ग्राम अवैध स्मैक

दिनांक: 08-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से कुल 500 ग्राम अवैध चरस बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद मे नशा तस्करो की गिरफ्तारी व नशे के पद्धार्थो की रोकथाम हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा दो अभियुक्तगण को मय अवैध चरस 500 ग्राम के साथ कमेला रोड पर सरकारी क्वार्टर के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। बरामदगी के सम्बन्ध मे अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मण्डी पर मु0अ0स0 284/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है।

अभि0गण उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनो दोस्त है, और यह चरस हरियाणा से बेचने के लिए लेकर आये है। चरस बेचकर हम दोनो अच्छे पैसे कमा लेते है और अपना खर्चा चला लेते है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –</u>

1. कासिफ पुत्र अखलाक निवासी कमेला कालोनी कुरैशियान मस्जिद के पीछे वाली गली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. सावेज उर्फ बहरा पुत्र रिजवान निवासी हलवाईयान मस्जिद के पास चांद कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

<u>बरामदगी का विवरण:-</u>

अभि0 कासिफ उपरोक्त के कब्जे से 315 ग्राम अवैध चरस व 160 रू0 बरामद हुए

अभि0 सावेज उर्फ बहरा उपरोक्त के कब्जे से 185 ग्राम अवैध चरस व 110 रू0 बरामद हुए

<u>अभियुक्त कासिफ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-</u>

1. मु0अ0सं0 0422/2021 धारा 8/20 NDPS ACT. थाना कुतुबशेर सहारपुर ,
2. मु0अ0सं0 0141/2023 धारा 4/25 A.ACT. थाना कोतवाली मण्डी सहारपुर ,
3. मु0अ0सं0 0155/2022 धारा 4/25 A.ACT. थाना कोतवाली मण्डी सहारपुर
4. मु0अ0सं0 0391/2020 धारा 379/411 थाना कोतवाली मण्डी सहारपुर

<u>अभियुक्त सावेज उर्फ बहरा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-</u>

1. मु0अ0सं0 0084/2019 धारा 4/25 A.ACT थाना कुतुबशेर सहारपुर ,
2. मु0अ0सं0 0162/2021 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना कुतुबशेर सहारपुर ,
3. मु0अ0सं0 0104/2020 धारा 4/25 A.ACT. थाना कोतवाली मण्डी सहारपुर ,
4. मु0अ0सं0 0430/2021 धारा 379/411 थाना कोतवाली मण्डी सहारपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-</u>

1. उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. हे0का0 361 मनोज कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 157 सन्दीप कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 2043 सद्दाम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. का0 500 विकल सोम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक: 08-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन, सहारनपुर पुलिस द्वारा 20 ली0 कच्ची शराब के साथ अभि को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशे के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सर्किल नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान सहजवी पुलिया से अभियुक्त **सुन्दर पुत्र कालूराम निवासी नयागाव उर्फ नयाबास थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर** को 20 ली0 शराब खाम के साथ गिरफ्तार किया गया। घटना के सम्बन्ध मे मु0अ0स0 276/23 धारा 60(1) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया कि मै अनपढ़ हूँ मजदूरी का काम करता हूँ तथा नशे का आदी हूँ शराब को कम दाम मे लाकर अधिक मुनाफा लेकर अपने गाव मे बैच देता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त गण के नाम व पता:-

सुन्दर पुत्र कालूराम निवासी नयागाव उर्फ नयाबास थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

बरामद का विवरण:-

20 ली0 शराब खाम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1. उप0निरी0 श्री आनन्द पोसवाल थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
2. का0 2401 दुर्गेश कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
3. का0 686 अंकित कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर

दिनांकः 08.09.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा छेडछाड, मार पीट व आई0टी0 एक्ट के मुकदमें मे वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08.09.2023 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्तगण **1. आवेश गाढ़ा पुत्र गुलफशान निवासी सिम्भालकी गुर्जर, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर 2. कादिर राणा पुत्र हसीन निवासी खुजनावर, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर** को हाईवे की ओर पशु पैठ के पास थाना फतेहपुर सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण मु0अ0सं0 161/2023 धारा 354,307,323,506 भादवि व 67 आईटी एक्ट में वांछित चल रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

आवेश गाढ़ा पुत्र गुलफशान निवासी सिम्भालकी गुर्जर, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर 2. कादिर राणा पुत्र हसीन निवासी खुजनावर, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. निरीक्षक श्री मनोज कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर
2. का0 हरेन्द्र थाना गागलहेडी सहारनपुर
3. का0 कौशल थाना गागलहेडी सहारनपुर